मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

क्र.6077 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 07 भोपाल दिनांक 7.4.2007

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – **मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिले**

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल जिलों में ''कपिल धारा'' उपयोजना के क्रियान्वयन के संबंध में– यथासंशोधित दिशा निर्देश

संदर्भः
1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.13621 / 22 / वि–7 / 06 दिनांक 26.8.2006
2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.15873 / 22 / वि–9 / कपिलधारा / 2006 दिनांक 6.10.2006
3. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.18807 / 22 / वि–7 / 06 दिनांक 25.11.2006
4. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.58 / 22 / वि–9 / कपिलधारा / 2007 दिनांक 2.1.2007

1. पृष्ठभूमि :–

मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विगत वर्ष शामिल किये गये जिलों में निजी कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''कपिल धारा उपयोजना'' के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश संदर्भ में क्र.1 पर उल्लेखित आदेश द्वारा जारी किये गये थे। जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कालांतर में कपिल धारा उपयोजना के निर्देशों में कतिपय संशोधन कर तदाशय के निर्देश संदर्भ में क्र.2, 3 व 4 पर उल्लेखित आदेशों द्वारा जारी किये गये थे। विगत दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007 में उल्लेखित अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची – 1 की कंडिका – 1 (iv) में

यह संशोधन किया गया है कि पूर्व में शामिल वर्गों के हितग्राहियों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के परिवारों द्वारा धारित भूमि हेतु भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अतः उक्त के अनुक्रम में संदर्भ में उल्लेखित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए कपिल धारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में यह यथासंशोधित आदेश जारी किये जा रहे हैं। इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देश विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना में शामिल किये गये सभी जिलों हेतु लागू होंगे।

2 आवश्यकता व उद्देश्य : –

वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधा विहिन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत पिछड़े परन्तु जागरूक कृषक जो समुचित कृषि भूमि धारित करते हैं और जो कृषि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थायें जुटाने में सक्षम हैं, यदि उनकी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी का कारगर स्त्रोत उपलब्ध करा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता तथा ऐसे कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु ''कपिल धारा'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जायेगा।

3 कार्य क्षेत्र :–

कपिलधारा उपयोजना का कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिलों के सभी ग्राम होंगे।

4. लिये जा सकने वाले कार्य :–

4.1 कपिल धारा उपयोजना के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पानी का सुनिश्चित एवं कारगर स्त्रोत विकसित किया जायेगा, जिसके लिए निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगे :–

1. नवीन कुआं–भूजल पुर्नभरण की व्यवस्था के साथ (Dug well with ground water recharge structure)
2. खेत तालाब (Farm Pond/Dugout Pond)
3. मैसेनरी चैक डेम/स्टाप डेम/आर.एम.एस.
4. लघु तालाब (Micro Tank)

5. आयोजना :–

कपिल धारा उपयोजना की आयोजना के महत्वपूर्ण चरण निम्नानुसार होंगे :–

5.1 हितग्राही परिवार का चयन :

5.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची – 1 की संशोधित कंडिका 1 (IV) (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007) में निम्न वर्ग के हितग्राहियों की स्वामित्व वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
- भूमि सुधार (Land Reforms) के हितग्राही
- इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

51.2 अतः कपिल धारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य क्षेत्र में शामिल ग्रामों में पैरा 5.1.1 में उल्लेखित वर्गों में से ऐसे हितग्राही परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, जो निम्न सभी मानदण्डों की पूर्ति करते हैं :–

1. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि वर्षा आधारित (Rainfed) है व इसकी सिंचाई हेतु खेत में पानी का स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं।

2. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि की जोत (Operational land holding) ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग अलग जगहों पर मिलाकर 2 हेक्टेयर व इससे ज्यादा है। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही उपलब्ध नहीं हैं तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर की सीमा तक की जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को कपिल धारा उपयोजना के हितग्राही के रूप में चयनित किया जा सकेगा

3. जिनके परिवार का कम से कम 1 सदस्य न्यूनतम 5वीं कक्षा पास हो/पढ़ा हुआ हो। Primitive Tribe जैसे सहरिया, बैगा, भारिया के लिए यह मानदण्ड लागू नहीं होगा।

4. जो कृषि की आधुनिक/Improved पद्धतियों तथा तकनीकों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं व इस संदर्भ में सकारात्मक सोच रखते हैं।

5.1.3 उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वर्ष अपने कार्य क्षेत्र के हितग्राहियों का विश्लेषण कर ग्राम सभा की अनुशंसा से ***प्रतिवर्ष न्यूनतम 25 सर्वाधिक उपयुक्त हितग्राहियों का चयन*** पैरा – 9.1 में उल्लेखित लक्ष्यों के अनुक्रम में निर्धारित संख्या के अनुसार करेगी।

5.2 कार्य का चयन, निर्माण स्थल की अनुशंसा व अनुमोदन :–

5.2.1 सर्वप्रथम चयनित किये गये हितग्राहियों को उनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैरा – 4.1 में उल्लेखित अनुसार लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्पों से ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया जायेगा।

5.2.2 तत्पश्चात हितग्राही अपने स्वयं के खेत व आस पास के खेतों, कुओं तथा समीप बहने वाले नदी–नालों का सर्वेक्षण कर अपने अनुभव के आधार पर व स्थानीय परिस्थितियों की उपयुक्तता (feasibility) को ध्यान में रखकर लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्पों में से उचित व औचित्यपूर्ण कार्य का चयन करेंगे। ऐसे क्षेत्र भूजल की उपलब्धता ठीक नहीं है, वहां पर कुयें का चयन के बजाय पैरा 4.1 में उल्लेखित अन्य कार्यों के चयन को प्राथमिकता दी जाये। कार्य के चयन के साथ ही हितग्राहियों द्वारा चयनित कार्य के निर्माण स्थल की भी अनुशंसा की जायेगी। प्रत्येक चयनित हितग्राही पैरा – 4.1 में उल्लेखित कार्यों के विकल्पों से अधिकतम 1 कार्य का चयन कर सकेगा।

5.2.3 चयनित हितग्राही द्वारा अपने लिए पृथक पृथक कार्य का चयन करने पर इसे व्यक्तिगत गतिविधि माना जायेगा। 1 से अधिक हितग्राही द्वारा सामूहिक रूप से 1 या अधिक कार्यों का चयन करने पर इसे सामूहिक गतिविधि माना जायेगा। कुआं सामान्यतः व्यक्तिगत गतिविधि (Individual activity) के रूप में लिया जायेगा। उपयुक्त स्थल के अभाव में अपवाद स्वरूप ही हितग्राहियों की सहमति होने पर ही कुआं सामुहिक गतिविधि (Group activity) के रूप में लिया जाये। अन्य कार्य, क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों की उपयुक्तता (feasibility of local specific conditions) के आधार पर तथा हितग्रहियों की सहमति अनुसार व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि दोनों स्वरूप में लिये जा सकते हैं।

5.2.4 **चयनित कार्य का स्वरूप सामूहिक गतिविधि का होने पर ग्राम पंचायत द्वारा इससे लाभ लेने वाले हितग्राहियों का उपयोगकर्ता दल गठित किया जायेगा।**

5.2.5 कार्यों के चयन व निर्माण स्थल की अनुशंसा सहित हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में हितग्राही द्वारा चयनित कार्य के प्रस्तावित आकार (उदाहरणस्वरूप कुयें के संबंध में इसका व्यास व गहराई तथा चैक डेम के संबंध में लंबाई व चौड़ाई आदि आदि) का अनुमानित विवरण भी उल्लेखित किया जायेगा। कार्य का स्वरूप व्यक्तिगत गतिविधि का होने पर हितग्राही द्वारा **अनुलग्नक –** 1 तथा सामुहिक गतिविधि होने

पर हितग्राही के उपयोगकर्ता दल द्वारा **अनुलग्नक–2** में उल्लेखित प्रारूप का उपयोग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए किया जायेगा।

5.2.6 हितग्राहियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच, क्षेत्र के पटवारी तथा उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर के दल द्वारा चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल की उपयुक्तता तथा औचित्य का परीक्षण स्थानीय परिस्थितियों (Local Specific Condition) तथा तकनीकी पहलुओं के आधार पर किया जायेगा। यदि चयनित कार्य व निर्माण स्थल उचित नहीं है तो हितग्राहियों से सलाह मशविरा कर तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर कार्य के चयन व इसके निर्माण स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिस पर हितग्राही की सहमति भी ली जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि हितग्राही द्वारा कुयें का चयन किया गया है, जबकि क्षेत्र के भूगर्भीय संस्तर (Geological Formation) ऐसे हैं, जिनमें भूजल की उपलब्धता नगण्य है तो हितग्राही को लिये जा सकने वाले कार्यों के शेष विकल्पों में से उपयुक्त कार्य के चयन के लिए मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसी तरह यदि हितग्राहियों द्वारा किसी ऐसे स्थल पर चैक डेम प्रस्तावित किया है, जहां का कैचमेंट अत्यंत छोटा होने के कारण पानी के आवक की संभावना कम है तो इस चैक डेम के यथोचित स्थान पर निर्माण के लिए हितग्राहियों को मार्गदर्शन दिया जायेगा।

5.2.7 उपरोक्तानुसार दल द्वारा परीक्षण के उपरांत चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय हितग्राहियों द्वारा लिया जायेगा। इसके उपरांत दल में शामिल उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर द्वारा चयनित कार्य के डिजाईन व आकार (Dimension) (जैसे कुएं का व्यास व गहराई, चैक डेम की लंबाई, चौड़ाई व साइड स्लोप आदि) का निर्धारण किया जायेगा। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के मानक मॉडल **अनुलग्नक–3** पर दर्शाये गये हैं। यह मॉडल पूर्णतः सांकेतिक हैं, अतः स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण किया जाये, जो अनुलग्नक–3 पर दर्शाये गये मानक मॉडलों के आकार से कम व ज्यादा हो सकता है। चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण होने

पर उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर **अनुलग्नक – 4** पर दर्शाये गये प्रपत्र में कार्य के अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा।

5.2.8 उपरोक्तानुसार अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर इन कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात कपिल धारा उपयोजना के इन कार्यों का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत कपिल धारा उपयोजना के कार्यों को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

6. कार्य का प्राक्कलन व स्वीकृतियां :–

6.1 शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल कपिल धारा उपयोजना के कार्यों के निर्माण हेतु उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर द्वारा अनुशंसित डिजाईन व आकार (Dimension) के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की इकाई लागत **अनुलग्नक–3** पर ही दर्शाई गई हैं। यह इकाई लागत पूर्णतः सांकेतिक हैं, अतः स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की विकासखण्डवार इकाई लागत का निर्धारण भी श्रेयस्कर होगा।

6.2 चयनित कार्यों के डिजाईन, आकार व प्राक्कलन की 2 प्रतियां तैयार की जायेंगी, जिनमें से 1 प्रति हितग्राही को तथा दूसरी प्रति ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

6.3 कपिल धारा उपयोजना के तहत उपरोक्तानुसार कार्यों की डिजाईन, आकार व प्राक्कलन के निर्धारण के उपरांत प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

7. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

7.1 चयनित कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व इनके कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

7.2 कपिल धारा उपयोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। कार्यों का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र.3136/22/वि–7/एमपीआरईजीएस/2007 दिनांक 20.2.2007 के अनुसार स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

7.3 कपिल धारा उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

7.4 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही कृषक से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने भवन के सहगोचर स्थल पर

कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, उनके द्वारा लिये गये कार्य, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

7.5 कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

7.6 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

7.7 यह सुनिश्चित किया जाये कि नवीन कुओं तथा खेत तालाब का निर्माण कार्य मानसून पूर्व पूर्ण कर लिये जायें। अन्य चयनित कार्य वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में भी कराये जा सकते हैं।

8. निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व तथा इनसे पानी का वितरण

8.1 निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व संबंधित हितग्राही अथवा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों का होगा। अतः इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही अथवा उपयोगकर्ता दलों को स्पष्ट समझाईश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दी जानी चाहिये।

8.2 व्यक्तिगत गतिविधि से पानी के उपयोग का अधिकार संबंधित हितग्राही का होगा। परन्तु सामुहिक गतिविधि से पानी के समानता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर सर्वमान्य प्रक्रिया के अनुसार वितरण सुनिश्चित होना चाहिये। इस हेतु वितरण की प्रक्रिया कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तय कर ग्राम पंचायत द्वारा लिपिबद्ध कर ली जानी चाहिये, ताकि क्रियान्वयन के पश्चात विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

9. ल़क्ष्य :–

9.1 मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली राशि में से ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई राशि का उपयोग इस प्रकार

किया जाना है, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले न्यूनतम 25 हितग्राही प्रतिवर्ष कपिल धारा उपयोग के क्रियान्वयन से लाभान्वित हो सकें। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत जिलेवार लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2007–08) तथा वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता **अनुलग्नक –5** पर दर्शाई गई है।

10. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

10.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में कपिल धारा उपयोजना के कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

10.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी कपिल धारा उपयोजना के कम से कम से 20% कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

10.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा कपिल धारा उपयोजना के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

10.4 कपिल धारा उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 6** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

कृपया कपिल धारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

पृ.क्र. 6078/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

अनुलग्नक – 1

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

मैं कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु .... कार्य (व्यक्तिगत गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
5. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार
   .....
   .....
   .....
   .....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हितग्राही के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत सामुहिक गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत हम निम्नानुसार आवेदक अपने खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ..... कार्य (सामुहिक गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहते हैं। हमारी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदकों का विवरण :

क्र.	आवेदकों के नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	धारित भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

2. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार

.....
.....
.....
.....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व हमारे द्वारा गठित उपयोगकर्ता दल का होगा।

हितग्राहियों के हस्ताक्षर

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के मॉडल मानक व इकाई लागत

कुऐं के मॉडल मानक तथा इकाई लागत

क्र.	भू–गर्भीय संस्तर का प्रकार	व्यास (मीटर)	गहराई (मीटर)	लाईनिंग(मीटर)	इकाई लागत (रूपये में)
1.	बेसाल्ट	5.00	12.00	3.00	42100
2.	बेसाल्ट को छोड़कर अन्य कड़ी चट्टाने	4.00	12.00	3.00	29500
3.	अलूवियम में ब्रिक लाईनिंग के साथ	2.5	20.00	20.00	39600
4.	अलूवियम में आर.सी.सी. लाईनिंग के साथ (Ring well)	2.00	10.00	10.00	25100

कुयें के साथ भूजल रिचार्ज पिट का आकार–3 मी.x3मी.x3 मी. तथा लागत–रू3500

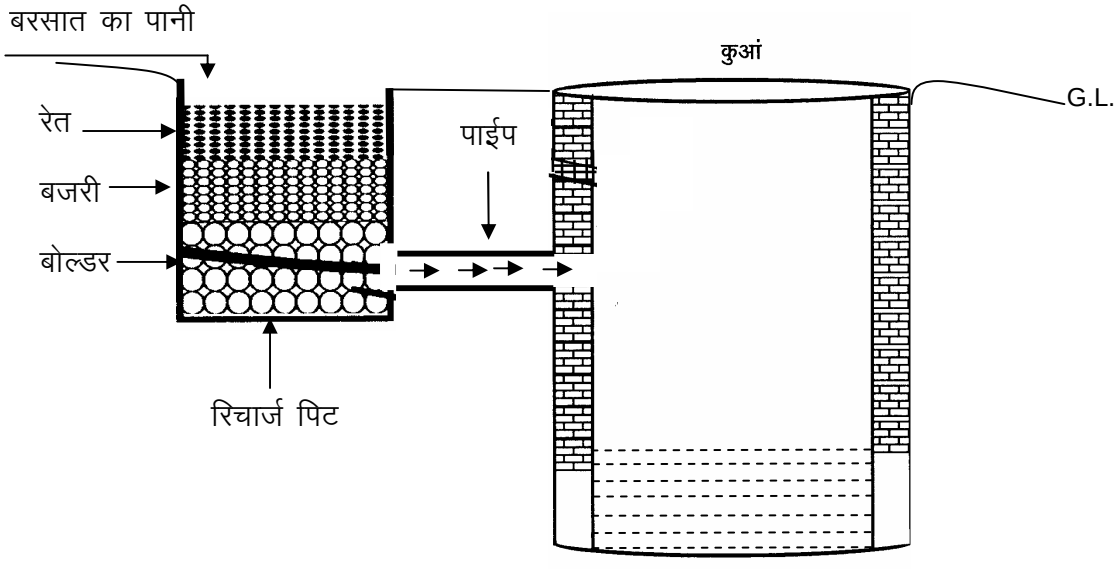

खेत तालाब के मानक मॉडल व इकाई लागत

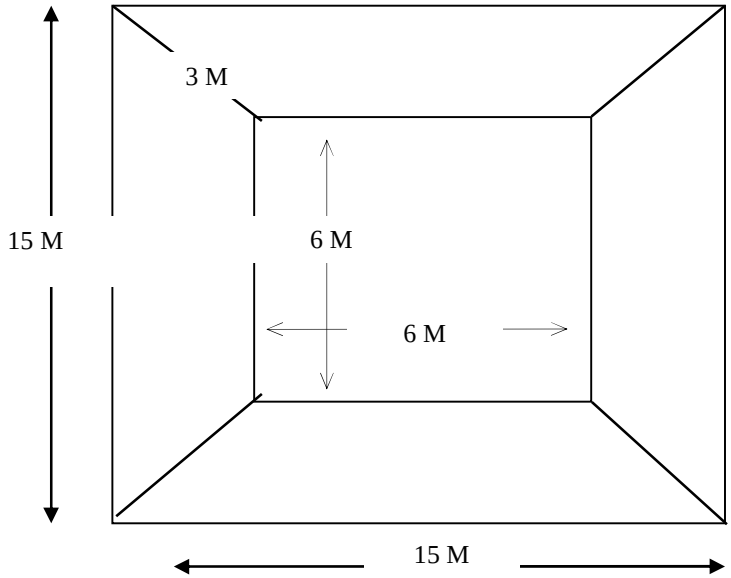

(साईड स्लोप 1.5:1)

(0.5 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

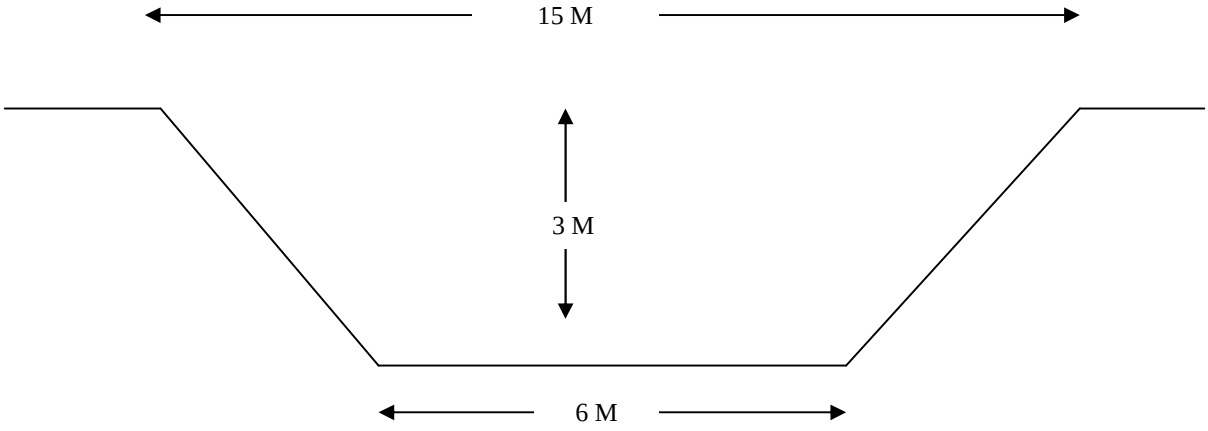

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	15X15+6 X6 / 2		3.00	391.50			
	कड़ी मिट्टी में (50%)		391.5X1 / 2			195.75	घ.मी.	25.35	4962.00
	कड़ी मुरम में (50%)		391.5 X1 / 2			195.75	घ.मी.	33.61	6579.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					1900.00
									13441.00
								अथवा	13400.00

टीप :– उक्त दरें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला भोपाल में दिनांक 5.5.2005 से लागू दर अनुसूची के आधार पर तैयार की गई हैं।

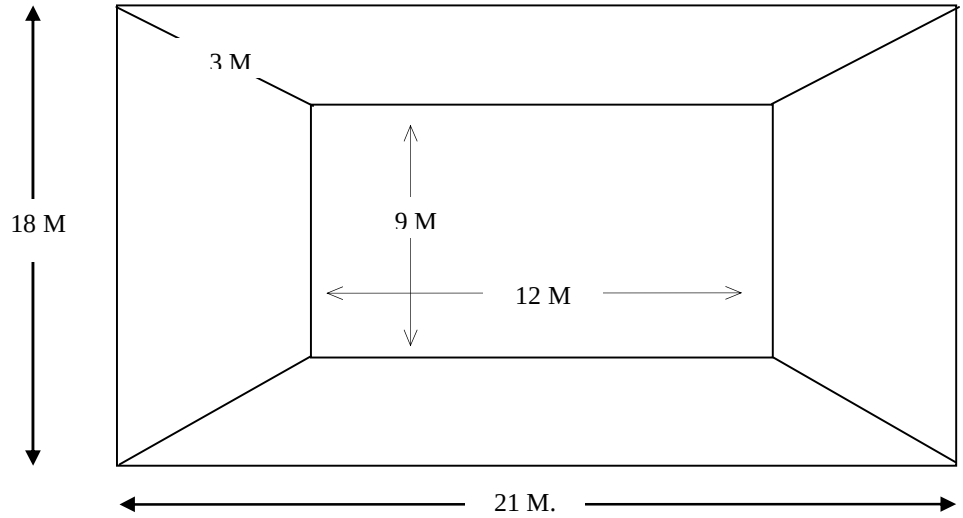

(साईड स्लोप 1.5:1)

(1 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

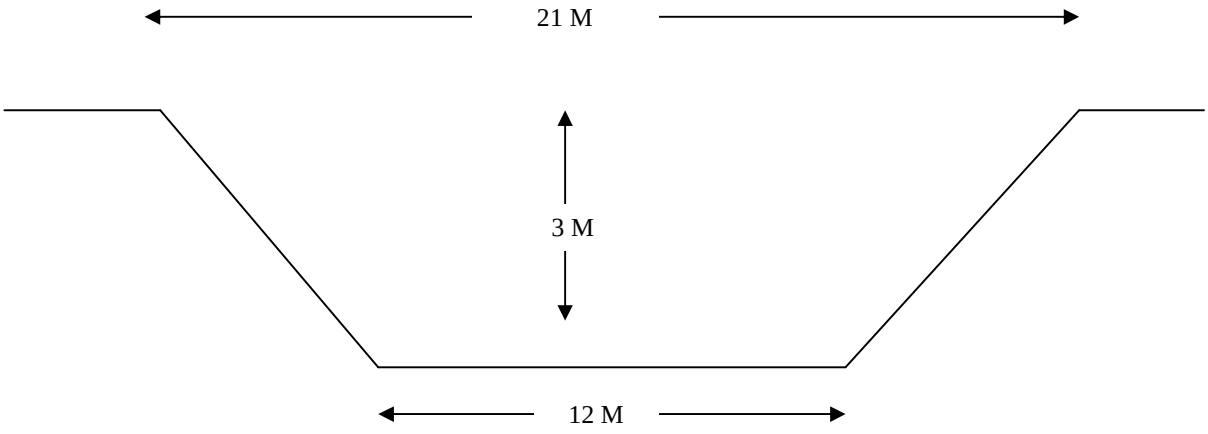

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	21X18+12 X9 / 2		3.00	729.00			
	कड़ी मिट्टी में (50%)		729X1 / 2			364.50	घ.मी.	25.35	9240.00
	कड़ी मुरम में (50%)		729X1 / 2			364.50	घ.मी.	33.61	12251.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					2700.00
									24191.00
								अथवा	24200.00

टीप :– उक्त दरें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला भोपाल में दिनांक 5.5.2005 से लागू दर अनुसूची के आधार पर तैयार की गई हैं।

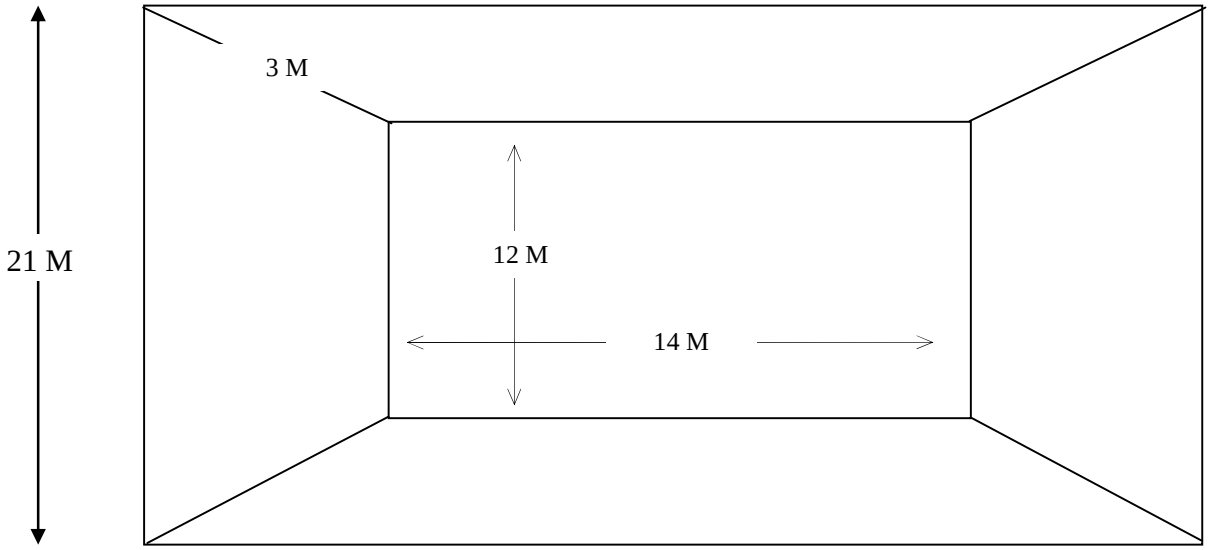

(साईड स्लोप 1.5:1)

(1.5 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

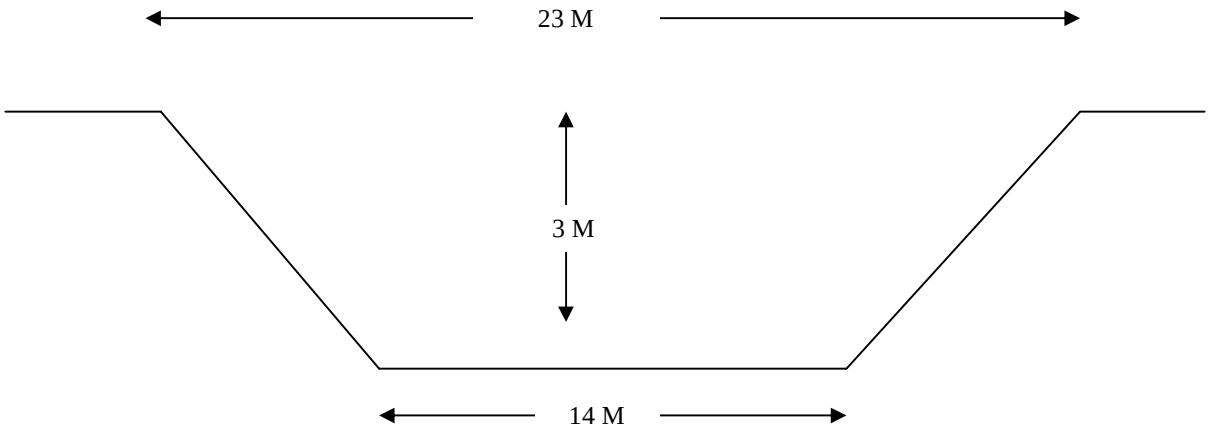

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	23X21+14 X12 / 2		3.00	976.50			
	कड़ी मिट्टी में (50%)		976.50X1 / 2			488.25	घ.मी.	25.35	12377.00
	कड़ी मुरम में (50%)		976.5 X1 / 2			488.25	घ.मी.	33.61	16410.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					3900.00
									32687.00
								अथवा	32700.00

टीप :– उक्त दरें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला भोपाल में दिनांक 5.5.2005 से लागू दर अनुसूची के आधार पर तैयार की गई हैं।

मैसेनरी चैक डेम का मानक मॉडल व इकाई लागत

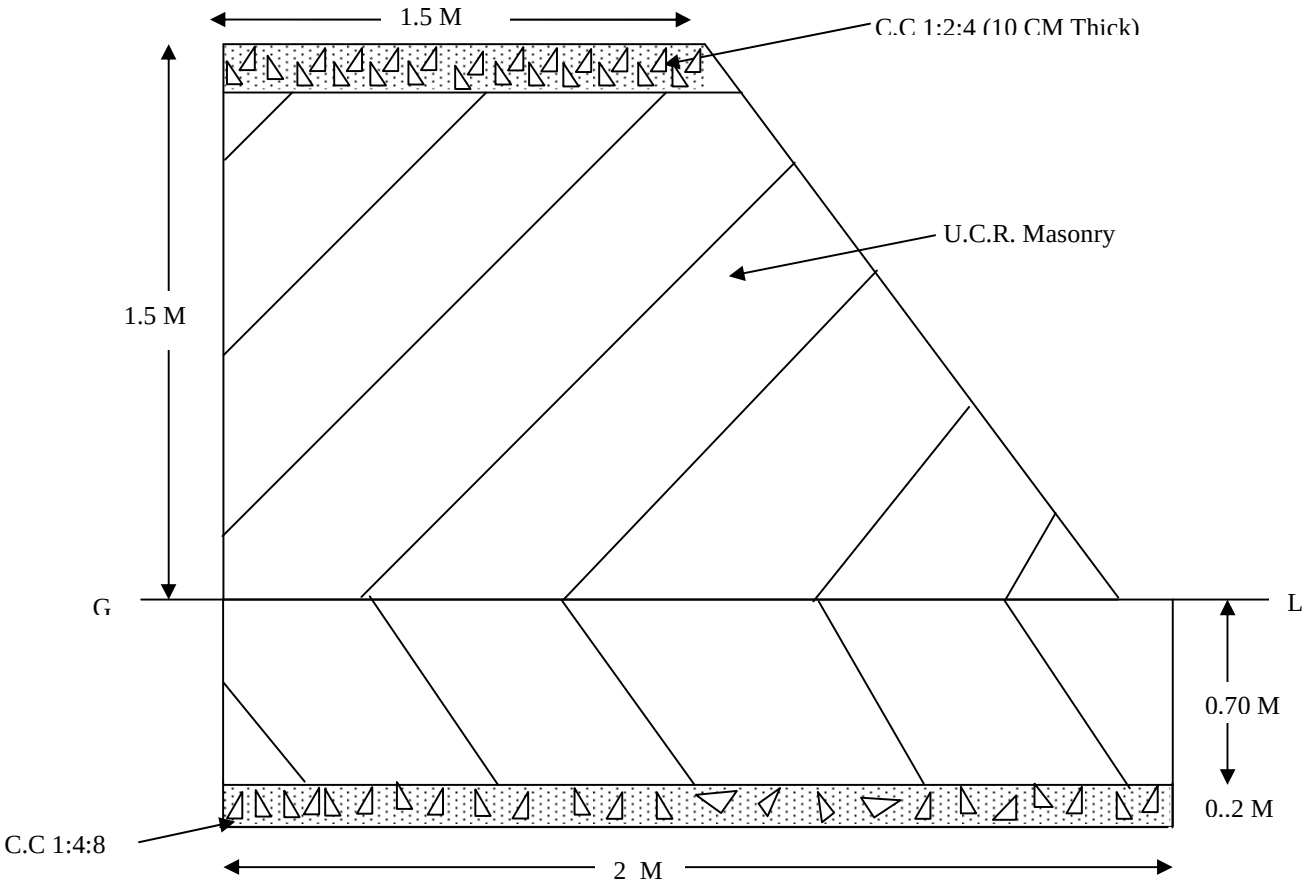

CROSS - SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	कड़ी मिट्टी में खुदाई	1	12.00	2.00	0.90	21.60	घ.मी.	25.35	548
2.	सी.सी. 1:4:8 (40 मि.मी. गिट्टी के साथ)	1	12.00	2.00	0.20	3.12	घ.मी.	1145.27	3573
3.	नीवों और कुर्सियों में अनुमोदित कोटि के बेरद्देदार पत्थर की चिनाई सीमेंट मसाला 1:6 से	1	12.00	2.00	0.70	16.80	घ.मी.		
		1	12.00	1.8+1.5 / 2	1.50	29.70	घ.मी.		
						46.50	घ.मी.	936.91	43566
4.	सी.सी. 1:2:4 (20 मि.मी. गिट्टी के साथ)	1	12.00	1.50	0.10	1.80	घ.मी.	1731.89	3117
							घ.मी.		50805
								अथवा	50000.00

लघु तालाब हेतु बंड का मानक मॉडल व इकाई लागत

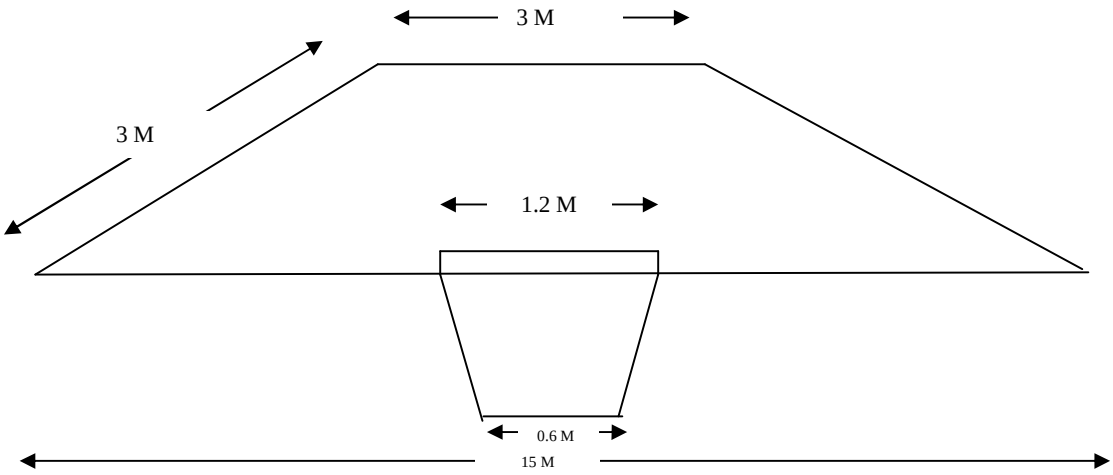

CROSS - SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	पडल खुदाई	1	33.00	1.20+0.6 / 2	1.20	35.64	घ.मी.	25.35	903
2.	पडल भराई	1	33.00	1.2+0.6 / 2	1.2	35.64	घ.मी.		
		1	33.00	1.20	0.60	23.76	घ.मी.		
						59.40	घ.मी.	113.77	67.58
3.	खुदाई कार्य (बंड हेतु)	1	33.00	3.00+15.00 / 2	3.00	891.00	घ.मी.		
	कड़ी मिट्टी में खुदाई, लकड़ी या लोहे के दुरमुट से कुटाई सहित (50%)			891.00	0.50	445.50	घ.मी.	31.30	13944
4.	कड़ी मुरम में खुदाई, लकड़ी या लोहे के दुरमुट से कुटाई सहित			891.00	0.50	445.50	घ.मी.	35.21	15686
5.	वेस्ट वियर हेतु कड़ी मुरम में खुदाई	1	33.00	3.00	1.00	99.00	घ.मी.	33.61	3327
6.	22 सेमी. मौटे बीने हुए पत्थर की सूखी पिचिंग करना	1	33.00		3.00	99.00	व.मी.	91.39	9048
									49667
								अथवा	50000.00

अनुलग्नक – 4

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही/हितग्राहियों चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल के संबंध में अनुशंसा।

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार मैंने स्थल का परीक्षण हितग्राही/हितग्राहियों के समक्ष दिनांक / / को किया। हितग्राही/हितग्राहियों की सहमति उपरांत निम्न विवरण अनुसार कार्य के अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है :–

1. हितग्राही/हितग्राहियों का विवरण

क्र.	हितग्राही/हितग्राहियों के नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	धारित भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

2. कार्य का नाम : .....
3. कार्य का स्वरूप (व्यक्तिगत/सामुहिक) : .....
4. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित संरचना की डिजाईन व आकार

.....
.....
.....
.....

उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर
का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 5

कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य तथा वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता (वर्ष 2007–08)

क्र.	जिला	विकासखण्डों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य	वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	10	693	17325	8662.50
2	बड़वानी	7	417	10425	5212.50
3	बैतूल	10	558	13950	6975.00
4	छतरपुर	8	558	13950	6975.00
5	धार	13	762	19050	9525.00
6	झाबुआ	12	664	16600	8300.00
7	खण्डवा	7	423	10575	5287.50
8	खरगौन	9	600	15000	7500.00
9	मंडला	9	493	12325	6162.50
10	शहडोल	5	392	9800	4900.00
11	श्योपुर	3	226	5650	2825.00
12	शिवपुरी	8	615	15375	7687.50
13	सीधी	8	717	17925	8962.50
14	टीकमगढ़	6	459	11475	5737.50
15	उमरिया	3	234	5850	2925.00
16	सतना	8	712	17800	8900.00
17	सिवनी	8	645	16125	8062.50
18	डिण्डोरी	7	348	8700	4350.00
19	देवास	6	497	12425	6212.50
20	छिन्दवाड़ा	11	808	20200	10100.00
21	अनूपपुर	4	282	7050	3525.00
22	बुरहानपुर	2	167	4175	2087.50
23	गुना	5	425	10625	5312.50
24	पन्ना	5	395	9875	4937.50
25	दतिया	3	281	7025	3512.50
26	कटनी	6	409	10225	5112.50
27	रीवा	9	827	20675	10337.50
28	हरदा	3	211	5275	2637.50
29	दमोह	7	461	11525	5762.50
30	राजगढ़	6	627	15675	7837.50
31	अशोकनगर	4	332	8300	4150.00
योग		**212**	**15238**	**380950**	**190475**